WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मैलानी और शाहजहांपुर के बीच रेलवे लाइन

*४१०. { श्री प्रे० कु० खन्ना :
श्री वि० सिं० चौधरी :
श्री समनानी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहजहांपुर को मैलानी से मिलाने वाली रेलवे विगत महायुद्धों में उखाड़ दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस लाइन को कब तक पुन: बनाने का विचार है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) शायद माननीय सदस्य का मतलब शाहबाजनगर-मैलानी लाइन से है। यह लाइन १०१८ में उखाड़ी गई थी ।

(ख) इस लाइन को फिर से बनाने का कोई विचार नहीं है और न यह लाइन उन नयी लाइनों में शामिल है जो तीसरी आयोजना में रेलवे के निर्माण-कार्यक्रम में रखी गई है ।

Transport of Goods to Assam

*413. { Shri H. C. Soy:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Transport and Communications** be pleased to state:

(a) whether the deadlock over the river transport system between Assam and the rest of India has been resolved;

(b) whether Government propose to maintain on a permanent basis the alternative method of transporting of goods to Assam by a fleet of trucks; and

(c) if so, the extent of progress made therein?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) A settlement has been reached on most of the disputes between the Joint Steamer Companies and their Pakistani ratings who struck work at Barisal and Fenchuganj in Pakistan between the 9th October and the 4th December, 1962. The strike was called off on the 4th December, 1962, and the Companies' services were restored soon thereafter.

(b) Yes.

(c) Fifty vehicles have been acquired by the Central Government's Road Transport Organisation. Fifty more vehicles are expected to be added by the close of the current financial year. It is also proposed to acquire 100 vehicles more during the next financial year.

अदालती पंचायत

*४१४. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री २० अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११५९ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि "अदालती पंचायतों" के अध्ययन दल ने हाल में ही जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसकी सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : मंत्रालय में रिपोर्ट की जांच की गई है । न्याय पंचायतों का विषय राज्य क्षेत्र में है और इसलिये रिपोर्ट में की गई लगभग सभी सिफारिशों पर राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही की जानी है । इस विषय पर राज्य सरकारों को लिखा गया है। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली ने सूचित किया है कि न्याय पंचायतों के बारे में जो एक्ट उन्होंने बनाए हैं उनमें इस रिपोर्ट की अधिकतर सिफारिशें पहले से ही शामिल हैं । दूसरे